भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 372

(जिसका उत्तर सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक) को दिया जाना है)

सहारा इंडिया परिवार में फंसी धनराशि वापस करना

372 श्री महाबली सिंह

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सहारा इंडिया परिवार में फंसी धनराशि वापस करने का निर्णय लिया है;

(ख) कितने निवेशकों को यह धनराशि लौटाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या निवेशकों को अभी केवल 10,000 रुपये की राशि वापस की जाएगी;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार की बड़े निवेशकों का धन लौटाने की कोई योजना है: और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ङ): माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 31.08.2012 के आदेश के अनुसरण में, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसआईआरईसीएल), सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एसएचआईसीएल) और उनके प्रमोटर्स तथा निदेशकों को आदेश जारी होने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर सेबी के पास कुल 25,781.37 करोड़ रुपये की राशि जमा करने का निदेश दिया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों और सेबी के दिनांक 13.02.2013 के कुर्की आदेशों के अनुसरण में, 31.03.2023 तक की स्थिति के अनुसार सेबी द्वारा कुल 15,646.68 करोड़ रुपये की कुल राशि की वसूली की गई है।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने सेबी को एसआईआरईसीएल और एसएचआईसीएल के बांडधारकों को भुगतान के साक्ष्य के रूप में संलग्न दस्तावेज प्रस्तुत करने और एसआईआरईसीएल तथा एसएचआईसीएल द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने के बाद राशि का ब्याज सहित भुगतान करने का भी निदेश दिया है। तदनुसार, सेबी ने विभिन्न प्रेस रिलीज और विज्ञापनों के माध्यम से धन वापसी संबंधी आवेदन आमंत्रित किए हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री बी. एन. अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह और प्राप्त आवेदनों के वैधीकरण के आधार पर सेबी ने 17,526 पात्र बांडधारकों को कुल 138.07 करोड़ रुपये की राशि वापस की है। सेबी ने इस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय से आगे के निर्देशों की मांग करते हुए दिनांक 21.12.2021 को एक अंतर्वर्ती आवेदन दायर किया है। इस मामले की सुनवाई के लिए एक विशेष न्यायपीठ का गठन किया गया है।

सेबी ने अपने दिनांक 31.10.2018 के आदेश में सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एसआईसीसीएल) और उसके निदेशकों को अपने बॉन्डधारकों को एकत्र किए गए धन को वापस करने का निर्देश दिया। यह मामला प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण और माननीय उच्चतम न्यायालय में न्यायनिर्णयाधीन है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 29.03.2023 के आदेश के अनुसरण में, दिनांक 19.05.2023 को केंद्रीय पंजीयक, सहकारी समितियों का कार्यालय को ''सेबी–सहारा रिफंड अकाउंट'' से 5000 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की गई है। दिनांक 18.07.2023 को सहारा समूह के बहु-राज्य सहकारी सोसायटियों नामत: सहारा क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लि. लखनऊ, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पस सोसायटी लि., भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लि., कोलकाता और स्टार्स मल्टीपर्पस कॉपरेटिव सोसायटी लि., हैदराबाद के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा उनके द्वारा जमा राशि की वापसी हेतु दावे प्रस्तुत करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किया गया था।

संवितरण की संपूर्ण प्रक्रिया माननीय उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री आर. सुभाष रेड्डी के पर्यवेक्षण और निगरानी में की जा रही है। वर्तमान में, आधार से जुड़े बैंक खातों के माध्यम से प्रमाणिक दावों के लिए सहारा ग्रुप ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी के प्रत्येक प्रमाणिक जमाकर्ता को केवल 10,000/- रुपये तक की राशि का संवितरण किया जा रहा है। ''सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल'' पर लगभग कुल 1.21 करोड़ आवेदन पंजीकृत किए गए हैं और सहारा ग्रुप ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी के 2,77,607 जमाकर्ताओं को दिनांक 31.01.2024 तक 258.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

*****